न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 61 / 2024

1 बलबीर उर्फ बलबीर सिंह उर्फ बनवारी पुत्र स्व. केहराराम जाति जाट निवासी रायला तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राज.।
2 श्रीमती शैलज्जा पुत्री बलबीर उर्फ बलबीर सिंह उर्फ बनवारी पत्नी संदीप जाति जाट श्यामपुरा पोस्ट नुआं तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती अनिता पुत्री बलबीर उर्फ बलबीर सिंह उर्फ बनवारी पत्नी विकास सोमरा जाति जाट निवासी रायला तहसील पिलानी व निवासी मोई सदा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 श्रीमती बबीता पुत्री बलबीर उर्फ बलबीर सिंह उर्फ बनवारी पत्नी राकेश कुमार सोमरा जाति जाट निवासी रायला तहसील पिलानी व निवासी मोई सदा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 उप पंजीयक अधिकारी पिलानी तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राज.।
4 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील पिलानी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राज. मुकदमा उनवानी श्रीमती अनिता वगै. बनाम बलबीर वगै.
अ.धा. 212 आर.टी.एक्ट 1955 मु.नं. 32 / 2024
आदेश दिनांक 28.03.2024

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप सिंह पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 6.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 32/2024 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्टस व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां एक दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया है। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 28.03.2024 के द्वारा स्वीकार कर प्रकरण के उभयपक्ष को तादौराने दावा विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखने हेतु पाबन्द किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना नहीं की है। निर्णय जेर बहस आदेशिका पर लिखा गया है तथा पक्षकारान के नाम व पते दर्ज नहीं है। रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल 1956 भाग द्वितीय के प्रावधानों को नजर अंदाज किया गया है। कानून से ऑर्डरशीट पर निर्णय नहीं लिखा जा सकता। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। विचारण न्यायालय ने निर्णय जेर बहस में प्रकरण की वस्तु स्थिति स्पष्ट नहीं की है। प्राईमा फेशी केस, सुविधा का संतुलन व अपारक्षति के बिन्दु को तय नहीं किया है। कानून से उपरोक्त तीनों बिन्दुओं को निर्धारित किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं किया जा

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

सकता। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है जो कि कानून से गलत है। कब्जे के बिन्दु का निर्धारण किये बिना मौके की यथास्थिति नहीं की जा सकती। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से स्वीकृत स्थिति रही है कि उनका विवादित आराजीयात पर भौतिक कब्जा नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि कब्जे के अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस की प्लीडिंग व दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज किया है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की प्लींडिग के विपरित जाकर निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्राईमा फेशी केस नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को उसके स्वयं की प्लीडिंग के मुताबिक वाद कारण तक नहीं है। सुविधा का संतुलन व अपारक्षति का बिन्दु भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नहीं है। काबिज व्यक्ति को उसकी कृषि भूमि से उसके फ्रुटस लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने मनमर्जी से निर्णय पारित कर विधि की भूल की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचाराधीन अपील धारा 212 के आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 में विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देही कर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। धारा 212 के आवेदन का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील धारा 212 के आवेदन में विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा मूल प्रार्थना पत्र धारा 212 में विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब देही कर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। धारा 212 के आवेदन का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील के स्तर पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर